प्रेषक,

चन्द्रशेखर मिश्र,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनाँक 21 जून, 2024**

विषय-वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में टाइप-3 के 40 नग (एस+6) तथा टाइप-4 के 16 नग (एस+4) बहुमंजिला फैकल्टी आवासों के निर्माण कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय अपने पत्र संख्या-एम0ई0/निर्माण/2024-25/21, दिनांक 16.05.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में टाइप-3 के 40 नग (एस+6) तथा टाइप-4 के 16 नग (एस+4) बहुमंजिला फैकल्टी आवासों के निर्माण कार्य हेतु परियोजना की अवशेष धनराशि रू0 917.665 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में टाइप-3 के 40 नग (एस+6) तथा टाइप-4 के 16 नग (एस+4) बहुमंजिला फैकल्टी आवासों के निर्माण कार्य हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आकलित लागत रू0 2269.81 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-48/2021/548/71-1-2021-जी-108/2018, दिनांक 17.03.2021 द्वारा प्रदान की गयी। उक्त स्वीकृत लागत के सापेक्ष अब तक कुल रू0 1352.145 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, जिनका विवरण निम्नवत् है-

क्र0सं0	शासनादेश संख्या व दिनाँक	धनराशि (रू0 लाख में)
1	48/2021/548/71-1-2021-जी-108/2018, दिनांक 17.03.2021	518.99
2	126/2022/I/243242/2022-71-1001(099)/3/2021,दिनांक 02.12.2022	300.00
3	96/2022/I/340999/2023-71-1001(099)/3/2021,दिनांक 29.06.2023	315.915
4	159/2023/I/454587/2023-71-1001(099)/3/2021, दिनांक 22.12.2023	217.24
	योग-	**1352.145**

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में टाइप-3 के 40 नग (एस+6) तथा टाइप-4 के 16 नग (एस+4) बहुमंजिला फैकल्टी आवासों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत पूंजी लेखा पक्ष में लेखाशीर्षक-4210-03-789-09-राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा हेतु 24- वृहद निर्माण कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष परियोजना की अवशेष धनराशि **रू0 917.665 लाख (रू0 नौ करोड़ सत्रह लाख छाछठ हजार पॉच सौ मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
4. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/मेडिकल कालेज के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए बीएम-9 प्रपत्र पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
5. परियोजना से सम्बन्धित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-48/2021/548/71-1-2021-जी-108/2018, दिनांक 17.03.2021 में उल्लिखित शेष शर्तो का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 9,17,66,500 (रुपये नौ करोड़ सत्रह लाख छियासठ हजार पाँच सौ मात्र) को चालू वितीय वर्ष 2024-25 के आयव्ययक मे- अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4210037890900 राजकीय मेडिकल कालेज,आगरा मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

चन्द्रशेखर मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, लखनऊ।
7. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

चन्द्रशेखर मिश्र

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।